न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 138/2021 /दावा/बउनवान/सुशीला बाई बनाम राज0 सरकार
जीसीएमएस संख्या:– 2021/254

सुशीला बाई उम्र 78 वर्ष पत्नि श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी मोलकी तहसील अन्ता जिला बारों (राज०)

..... वादिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अंता जिला बारां (राज०)

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर टी.एक्ट

वकील वादिया : श्री पुनीत नन्दवाना
वकील प्रतिवादी : तहसीलदार सरकार पैरोकार
दायरा दिनांक : 02.10.2021 **निर्णय दिनांक : 14.05.2025**

निर्णय

कोर्ट कैंप ठीकरिया

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वाके माल मोलकी पटवार क्षेत्र ठीकरिया तहसील अन्ता जिला बारां राज जमाबन्दी संवत् 2076–79 की नकल जमाबन्दी में आराजी खाता स. 1 खसरा न 48 रकबा 0.49 हे० भूमि स्थित है।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजी चक माल मोलकी तहसील अन्ता जिला बारां की खाता सं. 1 ख0नं. 48 रका 0.49 हे० भूमि पर संवत् 2039 से वादिया का पति मोहनलाल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति ब्राह्मण निवासी मोलकी तह० अन्ता काबिज काश्त होकर खेती करता चला आ रहा था। वादिया के पति की मृत्यु के पश्चात उक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थीया लगातार काबिज है और काश्त करती चली आ रही है। वादिया का उक्त वर्णित आराजी पर निर्बाध रूप से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है।
3. यह कि वादिया का पति स्व० मोहनलाल उक्त वर्णित आराजी का संवत् 2039 से लगातार राजस्थान सरकार के नियमानुसार जुर्माना (तावान) जमा करता चला आ रहा था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात वादिया लगातार उक्त वर्णित कृषि भूमि का जुर्माना(तावान) जमा करती चली आ रही है।
4. यह कि उक्त वर्णित आराजी पर निर्बाध व वैद्यानिक रूप से कब्ज़ा चला आ रहा है जो कि वादिया द्वारा जमा किये गये जुर्माने (तावान) तथा नकल पी–14 से प्रमाणित है। सरकारी रिकॉर्ड से भी यह प्रमाणित होता है कि उक्त वर्णित आराजी पर वादिया का 38 वर्षो से कब्जा है तथा वादिया उक्त वर्णित आराजी को एडवर्स पजेशन के आधार पर नियमानुसार उक्त वर्णित आराजी की नियमन करवाकर अपने खाते में दर्ज करवाने की हक अधिकारी है।

5. यह कि उक्त वर्णित आराजी के सैटलमेन्ट के पूर्व ख0नं0 318 थे जो वर्तमान में ख0नं0 48 है।
6. यह कि वादिया भूमिहीन कृषक है तथा भूमी को अपने नाम नियमन करवाने की योग्यता रखती है। वादिया ने दिनांक 01.08.21 को प्रतिवादी से उक्त आराजी बाबत नियमन करने बाबत कहने से प्रतिवादी द्वारा मना करने पर वाद कारण अंता में उत्पन्न हुआ।
7. यह कि वादिया भूमि नियमन की समस्त शर्तों का पालन करने के लिए तत्पर है तथा नियमानुसार नियमन की सरकारी दर के हिसाब से राशी जमा करवाने लिए तैयार है।
8. यह कि वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण यह वादपत्र में 80 (2) सीपीसी के प्रार्थनापत्र के साथ पेश किया है।
9. यह कि उक्त वादपत्र सुनने का श्रेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
10. यह कि वादपत्र उचित न्याय शुल्क एवं अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि:–

(1) आराजी वाके ग्राम मोलकी पटवार क्षेत्र ठीकरिया तह० अंता की खाता सं0 1 ख0नं0 48 रकबा 0.49 हे0 आराजी का नियमानुसार वादिया के पक्ष में नियमन किया जाकर वादिया को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(2) यह कि प्रतिवादी के खिलाफ इस बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह उक्त वर्णित आराजी पर वादिया की काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करें।

(3) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान् उचित समझे वादिया को प्रदान की जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादी को तलब किया गया। तहसीलदार अंता के पत्र कमांक L.R./2024/2777 दिनांक 10.07.2024 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

(1) मुताबिक चालू जमाबंदी ग्राम मोलकी में ख.न. 459/48 रकबा 0.41 हैक्टेयर भूमि किस्म नहरी–प्रथम सिवायचक खाता सरकार के खाते दर्ज है।

(2) उक्त आराजी ख.नं. 459/48 रकबा 0.41 है. भूमि जो कि सिवायचक है, सवंत 2039 से ही वादिया के पति मोहनलाल पुत्र बिरधीलाल जाति ब्राह्मण निवासी मोलकी द्वारा कब्जा काश्त में लगातार चली आ रही है, व **उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नि वादिया सुशीलाबाई द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है। वादिया सुशीलाबाई पत्नि स्व. मोहनलाल की मृत्यु दिनांक 19/03/2024 को हो चुकी है,** तथा मुताबिक ग्रामवासियान अनुसार व विरासत नामा० उक्त वादिया के वारिसान में (1) कृष्णबिहारी–पुत्र (2) गिरिराजबाई (3) विमलाबाई (4) राजेशबाई (5) कृष्णाबाई 6) एकताबाई –पुत्रियां मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी मोलकी होना पाया गया।

पत्रावली दिनांक 12, 13, 14.05.2025 को कोर्ट कैम्प ठीकरिया में प्रस्तुत हुई। लगातार 3 दिन तक मजमेआम में विभिन्न व्यक्तियों से पूछताछ की गई। सरपंच ठीकरिया द्वारा भी यह तस्दीक किया गया कि वादिया श्रीमति सुशीला बाई पत्नी श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी मोलकी का देहान्त न्यू मेडीकल कॉलेज कोटा में दिनांक 19.03.2024 को हो चुका है

जिसका सरपंच द्वारा प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया गया। नियमानुसार वादी की मृत्यु होने पर 90 दिवस के अन्दर मृत्यु की सूचना दी जानी आवश्यक होती है एवं तत्पश्चात अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 जाप्ता दीवानी के तहत कायममुकामान का प्रार्थना पत्र अधिकतम 60 दिवस के अन्दर पेश किया जाना आवश्यक होता है। हस्तगत वाद वादिया की मृत्यु दिनांक 19.03.2024 के पश्चात नियमानुसार उक्त वाद दिनांक 17.06.2024 को ही अबेट/उपशमित हो चुका है एवं तत्पश्चात दिनांक 17.08.2024 को वादिया के कायममुकामान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार दावे में अब अबेटमेन्ट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र लाये जाने की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है:–

> 2017(2) RRT 1047 SUPREME COURT HON'BLE JUSTICE MR. R.K. AGRAWAL HON'BLE JUSTICE MR. ABHAY MANOHAR SAPRE Gurnam Singh (D) thr. L.Rs. & Ors. vs. Gurbachan Kaur (D) By. L.Rs. & Ors. Civil Appeal No. 5671 of 2017 (Arising out of SLP (C) No. 26798 of 2011) Decided on 27th April, 2017. Code of Civil Procedure, 1908-**Order 22, Rule 9, 3(2) & 4(3)-Abatement of 'appeal-Plaintiff & two defendants died pending 2nd appeal-No application filed to bring the L.Rs' on record-High Court set aside the concurrent findings & decreed the plaintiff's suit-Judgment passed against a deed person is without jurisdiction & nullity-Objection in this regard can be raised in appeal or even in execution proceedings-Judgment set aside.**

इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि दावे का उपशमन होने के पश्चात दावे में किसी प्रकार का कोई निर्णय अथवा सहायता प्रदान नही की जा सकती है। हस्तगत दावें के तथ्यों का अवलोकन करने से भी यह स्पष्ट है कि वादिया द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार पर नियमन करने का अनुतोष चाहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार एडवर्स पजेशन पर खातेदारी अधिकार दिया जाना सम्भव नही है साथ ही यह उल्लेखित करना भी उचित होगा के वादिया ने वादग्रस्त सिवायचक आराजी पर लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही होने से स्वयं को एडवर्स पजेसी मानकर नियमन किये जाने की प्रार्थना की है। न्यायिक नजीर RBJ 2011(18) केस 388 एवं राजस्व मण्डल के लार्जर बेन्च द्वारा न्यायिक नजीर RRD 2011 केस 508 में एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। जहां तक प्रार्थीया द्वारा सिवायचक आराजी को नियमन किये जाने के आदेश का अनुतोष राजस्व न्यायालय से चाहा गया है तो यहा यह स्पष्ट करना उचित होगा कि राजस्व न्यायालय में नियमन सलाहाकार समिति को नियमन करने के कोई स्पष्ट निर्देश प्रदान किये जाने की शक्तियां निहित नही है। इस प्रकार के प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा अधिक से अधिक वादी को सलाहकारी निर्देश दिये जाते रहे है कि वह नियमन समिति के समक्ष अपना प्रकरण प्रस्तुत करे तथा नियमन समिति प्रकरण पर नियमों के परिप्रेक्ष्य में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। परन्तु हस्तगत वाद में इस प्रकार के निर्देश भी नहीं दिये जा सकते क्योकि हस्तगत वाद दिनांक 17.06.2024 को ही उपशमित/अबेट हो चुका है। अतः

हस्तगत वाद वादिया की दिनांक 19.03.2024 को मृत्यु हो जाने से दिनांक 17.06.2024 को अबेट हो जाने के कारण तथा वादिया के कायममुकामान अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत पेश करने की समय सीमा दिनांक 17.08.2024 को समाप्त हो जाने के कारण वाद अबेट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को कोर्ट कैम्प भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत ठीकरिया में मजमेंआम सुनाया गया।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां